RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15673/2025

(Second Bail)

Sandeep Singh S/o Vakil Singh, Aged About 23 Years, R/o Ward No. 9, Dulmana, Police Station Pilibanga, District Hanumangarh Raj. (Lodged In District Jail, Hanumangarh)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15674/2025

(Second Bail)

Mohan Ram S/o Dharma Ram, Aged About 35 Years, R/o Bamniyawala, Police Station Pachodi, District Nagaur, Raj. (Lodged In District Jail, Hanumangarh)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhagirath Ray Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

13/03/2026

प्रार्थी अभियुक्त **संदीप सिंह व मोहनराम** की ओर से ये द्वितीय जमानत आवेदन धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2024

अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 व 29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के मामले में प्रस्तुत किए गए हैं।

02. प्रार्थीगण अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2025 को जप्ती अधिकारी के कथन लेखबद्ध होने के पश्चात् पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ नोट प्रेस करने के आधार पर निस्तारित किया गया था।

03. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अभियुक्तगण व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

04. योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण अभियुक्तगण ने तर्क दिए कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण से 03 प्लास्टिक के कट्टों में कुल 77 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त की बरामदगी बताई गई है। प्रार्थीगण अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में समान प्रकृति का अन्य कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र जप्ती अधिकारी के कथन लेखबद्ध होने पर पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ नोट प्रेस करने के आधार पर निस्तारित किया गया था। इसके पश्चात् जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यु.03 लालबहादुरचन्द्र के कथन भी विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए जा चुके हैं, जिसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में दी गई साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। जप्तशुदा माल के जो नमूने न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे उन आर्टिकल–1 से आर्टिकल–5 में कुछ में चिट निकली थी, उन पर कइयों पर दस्तखत भी नहीं थे और न ही सील का इंप्रेशन नज़र आ रहा था। सेंपल भी काफी विलम्ब से लिए गए थे। प्रकरण में मौके पर मिले सहअभियुक्तगण दिनेश, राजेश व कुलदीप सिंह के जमानत आवेदन इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में स्वीकार किए जा चुके हैं। प्रार्थी–अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से काफी समय से अभिरक्षा में है। अभी भी अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना होने से प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थीगण अभियुक्तगण के ये जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

06. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 13.07.2024 को थानाधिकारी श्री लालबहादुरचन्द्र पुलिस थाना सदर, हनुमानगढ़ मय जाप्ता के चक–42 एसएसडब्ल्यु नर्सरी के पास पहुंच नाकाबंदी शुरू की तो एक बलेनो कार में तीन व्यक्ति सवार होकर आते मिले थे, जिनमें चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजेश व पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम दिनेश बताया था और पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम कुलदीप होना बताया। इतने में ही पीछे से एक काले रंग की बिना नंबरी नेक्सोन कार आई, जिसे रुकवाकर देखा तो उसमें बैठे दो व्यक्तियों ने अपने नाम मोहन राम व संदीप होना बताए। तत्पश्चात् कार की तलाशी लेने पर कुल 77 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुए थे। पूर्व में प्रार्थीगण अभियुक्तगण का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2025 के आदेश से जप्ती अधिकारी के कथन लेखबद्ध करने की स्वतंत्रता देते हुए निस्तारित किए गए थे। इसके पश्चात् जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यु.03 लालबहादुरचन्द्र के भी कथन लेखबद्ध हो चुके हैं। प्रकरण में सहअभियुक्तगण दिनेश, राजेश व कुलदीप सिंह, जो मौके पर मिले थे, उनके जमानत आवेदन इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में स्वीकार किए जा चुके हैं।

06. अतः प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, जप्ती अधिकारी पी.डब्ल्यु.03 की प्रतिपरीक्षण के दौरान आई साक्ष्य, अभियुक्तगण की अभिरक्षा की अवधि आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण अभियुक्तगण संदीप सिंह व मोहन राम को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थीगण अभियुक्तगण **संदीप सिंह पुत्र वकील सिंह व मोहन राम पुत्र धर्माराम** की ओर से प्रस्तुत ये जमानत के द्वितीय प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किए जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी अभियुक्त पुलिस थाना सदर हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2024 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये के मुचलके एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J

274-275-Rajendra/-